



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2001/भाद्र 9, 1923

No. 633]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2001/BHADRA 9, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001

का.आ. 851(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड का 265.00 कि.मी. से 266.4 कि.मी. भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फाईल सं. एन एच-12037/1046/2000-एन एच सी]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2001

S.O. 851 (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch from kilometer 265.00 to kilometer 266 4 of Hyderabad-Vijayawada Section of National Highway No. 9 to the National Highways Authority of India.

[File No. NH-12037/1046/2000-NHC]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.